रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 15 दिसम्बर, 1983/24 अग्रहायण, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

सतर्कता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 1983

संख्या पर०/विज०-ए० (4)-2/83.—हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (कार्यवाही) नियम, 1983 है ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 अभिप्रेत है ;
(ख) इन नियमों में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

(2) जिन शब्दों और अभिकथनों का इन नियमों में प्रयोग किया गया है परन्तु जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अधीन क्रमशः दिए गए हैं ।

3. सक्षम प्राधिकारी.—अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के मद (iii) के प्रयोजन के लिए, मुख्य मन्त्री, मन्त्री राज्य विधान सभा सदस्य और धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी लोक सेवक के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, लोक सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परन्तु यदि कार्रवाई, लोक सेवक की अन्यत्र सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर उस द्वारा या उसकी स्वीकृति से किए गए प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होती है तो उस स्थापना के अध्यक्ष से परामर्श करना होगा जिसमें वह कार्य करता रहा है या कर चुका है ।

4. परिवाद.—(1) परिवाद, परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और प्ररूप-I में किया जायेगा और इसकी विषय वस्तु के समर्थन में इसके साथ प्ररूप-II में शपथपत्र संलग्न किया जायेगा ।

(2) परिवाद, सचिव लोक आयुक्त को, प्रस्तुत किया जा सकेगा या रजिस्ट्रीकृत कवर द्वारा भेजा जा सकेगा ।

5. शपथ-पत्र.—शपथ-पत्र की शपथ, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्व सशक्त किए गए उन प्राधिकारियों, जिनके समक्ष शपथ-पत्र की शपथ ली जा सकेगी, के अतिरिक्त लोक आयुक्त या लोक आयुक्त के अधीनस्थ और उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली जा सकेगी ।

6. साक्षियों की हाजरी.—(1) यदि किसी प्रारम्भिक जांच के समय या किसी अन्वेषण के संचालन के समय या किसी भी समय, लोक आयुक्त स्वप्रेरणा से किसी भी व्यक्ति का साक्षी के रूप में परीक्षण करना चाहे साक्ष्य देने के लिए साक्षी के रूप में या उसके कब्जे में किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए और यदि ऐसा व्यक्ति किसी प्राइवेट सेवा में है, तो ऐसा व्यक्ति, लोक आयुक्त कार्यालय से इस बात का प्रमाणपत्र लेगा कि साक्ष्य देने के प्रयोजन से वह लोक आयुक्त के कार्यालय में हाजिर हुआ है । प्रमाणपत्र में उसकी हाजरी की तारीख और उस अवधि का जिसके लिए उसे निरुद्ध रखा गया था विवरण दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए "प्राइवेट सेवा" से, लोक सेवक के नियोजन से अन्यथा, अभिप्रेत है ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, अपने नियोजक के समक्ष ऐसा प्रमाणपत्र पेश करता है तो वह ऐसी तारीख या तारीखों को ड्यूटी पर समझा जायेगा और ऐसी तारीख या तारीखों को उसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति नहीं लगाई जायेगी या किसी भी रीति से दण्डित नहीं किया जायेगा ।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, लोक सेवक है जिस पर सिविल सेवा नियम या विनियम लागू होते हैं, वह भी इसी प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उसे इस प्रकार समन किया गया था और लोक आयुक्त के कार्यालय में हाजिर हुआ है । ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर, उसे उस दिन या तारीखों को जिनको वह लोक आयुक्त के कार्यालय में हाजिर हुआ था, ड्यूटी पर माना जायेगा ।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी सेवा में नियोजित नहीं है और, यदि लोक आयुक्त उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति को, लोक आयुक्त के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विहित दरों पर यात्रा भत्ता, यदि कोई हो, और निर्वाह भत्ता सन्दत्त किया जा सकेगा ।

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता का लागू होना.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 195 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराधों के बारे में कथित संहिता की धारा 340 की उप-धारा (1) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा और कथित संहिता की धारा 340 के अधीन किया गया परिवाद

लोक आयुक्त के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें ।

8. लोक आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अधिप्रमाणीकरण.—लोक आयुक्त द्वारा, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन पारित कोई भी आदेश, ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जायेगा, जैसी कि लोक आयुक्त समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

9 कारबार का सव्यवहार.—(1) इन नियमों के प्रशासन और कथित प्रयोजन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले कारबार के सुविधाजनक और दक्ष संव्यवहार के लिए, लोक आयुक्त समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबन्ध कर सकेगा।

(2) सभी मामले, चाहे इन नियमों के उपबन्धों के आनुषंगिक या प्रासंगिक या अन्यथा, जो इन नियमों में विशेष रूप से उपबन्धित नहीं है, ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे जैसे कि लोक आयुक्त समय-समय पर दें ।

(3) लोक आयुक्त को, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे सभी मामलों म, कार्यवाहियों, अन्वेषणों और जांचपड़ताल के संचालन को विनियमित करने की शक्तियाँ होंगी, जो इन नियमों में उपबन्धित नहीं हैं ।

हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा और नाम पर,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (सतर्कता),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्ररूप-I

(नियम 4 देखें)

परिवाद का प्ररूप

लोक आयुक्त हिमाचल प्रदेश के समक्ष

परिवादी .....सुपुत्र श्री.....
.....
(व्यवसाय, निवास स्थान आदि का विवरण जोड़ें)
.....के मामले में श्री.....
.....सुपुत्र श्री.....
.....के पद का धारक.....
.....स्थान.....
के विरुद्ध अभिकथन ।

उपरिनामांकित परिवादी का समाधान हो गया है कि पूर्व कथित लोक सेवक :—

(1) ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित अभिलाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित क्षति पहुंचाने के लिए अपने पद का जानबूझ कर और आशय से दुरुपयोग किया है; और/या

(2) ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था ; और/या

(3) भ्रष्टाचार का दोषी है; और/या

(4) के कब्जे में धन सम्बन्धी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी सम्पति है जो आय के उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है और ऐसे धन सम्बन्धी संसाधन या सम्पति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण की गई है ।

(उस खण्ड या उन खण्डों को काट दें जो परिवाद से सुसंगत नहीं हैं)

अभिकथनों के समर्थन में, परिवादी निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है और शपथपत्र भी दाखिल कर रहा है:—

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

परिवादी, उसी मामले के लिए, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, मामले को विनिश्चित करने के लिए सशक्त अधिकरण (ट्रायब्यूनल)/विधि न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों द्वारा उपचार के लिए गया है/नहीं गया है:—

(विशिष्टियां और परिणाम दें, यदि कोई हो)

इसलिए, यह याचना की जाती है कि कथित लोक सेवक के विरुद्ध जांच की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/या
दाएं हाथ के अंगूठ का निशान।

सत्यापन

मैं ..... सुपुत्र श्री .....
निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि परिवाद
में पैरा ..... से ..... तक मेरे द्वारा विवरणित
तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है और/या पैरा ..... से ..... तक
मेरे द्वारा विवरणित तथ्य (नाम दें) ..... से प्राप्त
जानकारी और/या दस्तावेजों पर आधारित हैं और मैं विश्वास करता हूं कि वे सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/या
दाएं हाथ के अंगूठे का निशान।

प्रपत्र–II

(नियम 4 को देखें)

शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं,.....सुपुत्र श्री.....
आयु.....तहसील.....जिला.....
एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नलिखित रूप में विवरण देता हूं :—

(1) कि इस मामले में मैं परिवादी हूं ;

(2) कि इस परिवाद याचिका का विवरण मैंने पढ़ लिया है/मुझे पढ़कर सुना दिया गया है और मैंने समझ लिया है/मुझे समझा दिया गया है और ये मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ;

(3) कि पैरा.....से.....तक मेरे द्वारा विवरणित तथ्य, मेरी पूरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और पैरा.....से.....तक विवरणित तथ्य श्री.....द्वारा दी गई सूचना/और/या दस्तावेजों पर आधारित है जो मेरे विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
तारीख..... या दाएं हाथ के अंगूठे का निशान।

पहचान

मैं.....सपुत्र श्री.....
श्री.....के हस्ताक्षर/दाएं अंगूठे के निशान की पहचान करता हूं, जिसने कि इस शपथ-पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठे का निशान लगाया है।

तारीख..... पहचान कर्ता के हस्ताक्षर
और पता, तारीख सहित।

शपथ-पत्र की शपथ मेरे समक्ष ली है।

प्राधिकारी का पदनाम
जिसके समक्ष शपथपत्र की शपथ ली है।

तारीख.....

[In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. Per. (Vig.)A(4)-2/83 of even date].

VIGILANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 12th December, 1983

No. Per(Vig.)-A(4)-2/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983), the Governor of Himachal

Pradesh hereby makes the following rules, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Proceedings) Rules, 1983.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983;

(*b*) "section' means the section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined herein, shall have the same meanings as are respectively assigned to them under the Act.

3. *Competent authority.*—For the purposes of item (*iii*) of clause (*h*) of section 2 of the Act, the competent authority in relation to any public servant, other than the Chief Minister, a Minister, a Member of the State Legislature and the officers, as defined under clause (*g*) of section 2, shall be the appointing authority of the public servant:

Provided that if the action arises out of the administrative action taken by or with the approval of a public servant during the period of his deputation to foreign service, the head of the establishment in which he has been working or had worked shall be consulted.

4. *Complaint.*—(1) A complaint shall be signed by the complainant and shall be made in Form-I and it shall be accompanied by an affidavit in Form-II in support of its contents.

(2) A complaint may be presented or be sent under registered cover to the Secretary to the Lokayukta.

5. *Affidavit.*—An affidavit may be sworn before the Lokayukta or any other Gazetted Officer subordinate to the Lokayukta and authorised by him in this behalf, besides the authorities already empowered under any law in force in the State of Himachal Pradesh before whom affidavit may be sworn.

6. *Attendance of witnesses.*—(1) If while making any preliminary inquiry or while conducting any investigation under the Act, or at any time, the Lokayukta on his own motion examines any person as a witness, whether as witness to give evidence, or to produce any document in his possession, and if such person is in any private service, such shall obtain from the office of the Lokayukta a certificate that he has attended the office of Lokayukta for the purpose of giving evidence. The certificate shall state the date of his appearance and the period for which he had been detained.

Explanation.—For the purposes of this rule, "private service" means any employment other than that of a public servant.

(2) If the person produces such a certificate before his employer, he shall be deemed to have been on duty on such date or dates and he shall not be marked absent from duty on such date or dates or be penalised in any manner.

(3) If such person is a public servant to whom Civil Services Rules or Regulations apply, he shall obtain a similar certificate that he was so summoned and has attended the office of Lokayukta. Upon production of such a certificate, he shall be treated as on duty on the day or dates on which he attended the office of the Lokayukta.

(4) If such person is not employed in any service and, if the Lokayukta thinks fit, such person may be paid travelling allowance, if any, and subsistence allowance at the rates prescribed by a general or special order of the Lokayukta.

7. *Application of the Criminal Procedure Code.*— The procedure prescribed in sub-section (1) of section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) shall be followed in respect of offences referred to in clause (*b*) of sub-section (1) of section 195 of the said Code and complaint made under section 340 of the said Code shall be signed by such officer subordinate to the Lokayukta as he may appoint for the purpose.

8. *Authentication of orders passed by the Lokayukta.*—Any order passed by the Lokayukta under provisions of the Act and these rules shall be authenticated in such manner as the Lokayukta may, by general or special order, from time to time specify.

9. *Transaction of business.*—(1) The Lokayukta may from time to time by general or special order, provide for the convenient and efficient transaction of business arising out of the administration of these rules and the procedure to be followed for the said purpose.

(2) All matters not specially provided for in these rules, whether incidental or ancillary to the provisions of these rules or otherwise, shall be regulated in accordance with such orders, as the Lokayukta may, from time to time, make.

(3) The Lokayukta shall have powers, subject to the provisions of the Act to regulate the conduct of proceedings, investigations and enquiries in all matters not provided for in these rules.

By order and in the name the Government of Himachal Pradesh,

Sd/-
Secretary (Vigilance) to
H.P. Government.

FORM-I

(*See* rule 4)

FORM OF COMPLAINT

BEFORE THE LOKAYUKTA, HIMACHAL PRADESH

Complainant.....son of.....
.....
(add description of profession, residence etc.)

In the matter of allegation against.....
s/o .....
holding the office of.....
.....
at.....

The above named complainant is satisfied that the aforesaid public servant—

(*i*) has knowingly and intentionally abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm to any other person; and/or

(*ii*) was actuated in the discharge of his functions as such public servant by corrupt motives; and/or

(*iii*) is guilty of corruption; and/or

(*iv*) is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income and such pecuniary resources or property is held by the public

servant personally or by any member of his family or by some other person on his behalf.

(Strike out the clause or clauses not relevant to the complaint.)

To support the allegations the complainant relies on the following facts and is also filing an affidavit:—

(1)
(2)
(3)
(4)

The complainant has/has not for the same matter resorted to a remedy by way of proceedings before a tribunal/a court of law/an authority empowered to decide the matter particulars of which are as under:—

(Give particulars and result if any.)

It is, therefore, prayed that an inquiry be made against the said public servant.

.....

Signature/or right hand thumb mark of the applicant.

VERIFICATION

I.....s/o.....r/o.....
.....hereby verify that the facts stated by me in paras.....
to.....in the complaint are true to my personal knowledge and/or the facts stated by me in paras.....to.....are based on information received from.....(give the name) and/or documents, and the same are believed by me to be true.

.....

Signature/right hand thumb mark of the applicant.

FORM—II

(*See* rule 4)

FORM OF AFFIDAVIT

I,..... son of Shri.....
age.....profession..... .....resident
of....., Tehsil....., District.....,
do hereby sole mnly affirm and state as follows:—

(1) that I am the complainant in this case;

(2) that the statements of this compiaint petition have been read by/red over to me and understood/heard by me and these are true to the best of my knowledge and belief;

(3) that the facts stated by me in paras..... to.....are true to the best of my personal knowledge and facts stated in paras.....to.....are based on the information given to me by Shri.....and/or documents which, I believe to be true.

.....
Signature or right thumb mark of the deponent.

Dated.....

IDENTIFICAION

I,.....son of Shri.....identify the signature/ right thumb mark of Shri.....who has signed/has affixed the thumb mark on this affidavit in my presence.

Signature and address of Identifier with date.

Affidavit sworn before me.

Designation of the authority before whom affidavit is sworn.

Dated.....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।